न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बॉसवाडा(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45/2023 दायर दिनांक 03.11.2023

ऑनलाईन प्रकरण संख्या : 2023/28 निर्णय दिनांक 07.02.2024

वादीगण :–

01. मोगजी पिता अमरजी, जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।
02. कांतिलाल पिता सुरजमल, जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।
03. चम्पालाल पिता सुरजमल जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।
04. धुलीबा पत्नी स्व. सुरजमल जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

01. तहसीलदार गनोडा, जिला बांसवाडा
02. मान सिंह पिता स्व. गोतम सिंह जाति राजपूत निवासी मेथुडी, तहसील व जिला सलुम्बर।

वकील वादी :– युवराज सिंह

वकील प्रतिवादी :– संजय डामोर

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण तहसीलदार गनोडा, एवं मान सिंह को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाकर एक वाद पत्र प्रस्तुत किया है, कि वाके ग्राम गनोडा, पटवार हल्का गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा में स्थित संवत् 2018 से 2020 के खसरा नंबर 3100/1 क्षेत्रफल 5 बिस्वा व खसरा नंबर 3101 क्षेत्रफल 7 बिस्वा कुल खसरा संख्या 2 कुल क्षेत्रफल 12 बिस्वा को खातेदार श्री स्व. देवी सिंह पुत्र स्व. श्री सव सिंह जाति राजपुत के नाम दर्ज रेकॉर्ड था। तथा खातेदार श्री स्व. देवी सिंह द्वारा उक्त भूमि को सुरजमल, मोगजी पुत्र अमरजी को रूपया 40/– में बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से सुरजमल, मोगजी पुत्र अमरजी द्वारा काबिज होकर आज तक मौके पर कब्जा कर काबिज हैं। तथा उक्त विक्रय का दाखिला संवत् 2018 से 2020 के खसरा गिरदावरी में अंकित हैं। स्व. देवी सिंह पुत्र स्व. श्री सव सिंह राजपुत मूल रूप से ग्राम मेथुडी, तहसील व जिला सलुम्बर के निवासी हैं। तथा वह गनोडा में गोद के रूप में आये थे। तथा देवी सिंह की मृत्यु ग्राम मेथुडी में हो गई तथा उनकी पत्नी की मृत्यु गांव मेथुडी में हो गई तथा वह निसंतान थे, तथा अपने जीवनकाल में गनोडा की कृषि भूमि वादी के पूर्वज को विक्रय कर दी तथा आज 60 वर्ष से अधिक समय से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त हैं। तथा ग्राम मेथुडी में भी उनके वारिसान उनके निकटतम भाई प्रतिवादी संख्या 2 मान सिंह पिता गौतम सिंह हैं। जिसका वादी ने ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा पेश किया है इसलिए पुराना खसरा नंबर 3100 व 3100/1 के नये खसरा नंबर 2199 को वादीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड किया जाये।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार गनोडा व प्रतिवादी संख्या 2 मान सिंह ने जवाब पेश किया तथा वाद को स्वीकार किया तथा उक्त खसरा नंबर 2199 क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर वादीगण के नाम दर्ज करने की सहमति प्रदान की व प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार गनोडा उक्त खसरा नंबर 2199 क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर पर वादीगण की जांच रिपोर्ट एवं मौके पर कब्जा पाया गया व प्रतिवादी संख्या 2 के सजरा को भी तस्दीक किया हैं वादी का संवत् 2018 से लगातार प्रतिकुल कब्जा पाया गया जिससे भी वादी खातेदारी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया एवं वादी का वाद स्वीकार करना उचित पाया गया क्योंकि तहसीलदार गनोडा द्वारा वादी का संवत् 2018–20 से अब तक लगातार कब्जा होना स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के सजरा को भी ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है तथा संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी व सरपंच द्वारा भी सजरे को प्रमाणित किया गया है इन सभी तथ्यों के आधार पर वादी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है तथा विकेता देवीसिंह पुत्र सवसिंह राजपुत जो लाऔलाद पत्नि सहित फोत हो चुका है एवं उसके एवं उसके वारिसान के हितो पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड रहा है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया गया। एवं वादी के पक्ष में डिक्री कीये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

–:: आदेश ::–

वाके ग्राम गनोडा, पटवार हल्का गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा में स्थित खसरा नंबर 2199 क्षेत्रफल .08 हैक्टर को वादीगण मोगजी पुत्र अमर जी व कांतिलाल, चम्पालाल, पुत्र सुरजमल, धुलीबा पत्नी स्व. सुरजमल जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा के नाम दर्ज रेकॉर्ड करने के आदेश दिये जाते हैं। एवं डिक्री जारी की जाती हैं तथा तहसीलदार गनोडा को डिक्री की पालना कर रिपोर्ट 7 दिवस में पेश करें।

विनोद कुमार मल्होत्रा (**R.A.S**)
उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(आ. 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – घाटोल

नाम पिठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार महल्होत्रा R.A.S.

1. मोगजी पिता अमरजी, जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।
2. कांतिलाल पिता सुरजमल, जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।
3. चम्पालाल पिता सुरजमल जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।
4. धुलीबा पत्नी स्व. सुरजमल जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा।

बनाम

1. तहसीलदार गनोडा, जिला बांसवाडा
2. मान सिंह पिता स्व. गोतम सिंह जाति राजपूत निवासी मेथुडी, तहसील व जिला सलुम्बर।

दावा बाबत –88,209 आर.टी.एक्ट.
मुकदमा नंबर – 45 सन् – 2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईमफिसाल कतई रुबरू........ ब हाजरी........ मिनजानिब मुदई व........ मिनजानिब मुदयलह पेष होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाके ग्राम गनोडा, पटवार हल्का गनोडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा में स्थित खसरा नंबर 2199 क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर के वादीगण मोगजी पुत्र अमर जी व कांतिलाल, चम्पालाल, पुत्र सुरजमल, धुलीबा पत्नी स्व. सुरजमल जाति ब्राम्हण निवासी गनोडा के नाम दर्ज रेकॉर्ड करने के आदेश दिये जाते हैं एवं डिक्री जारी की जाती हैं तथा तहसीलदार गनोडा को डिक्री की पालना कर रिपोर्ट 7 दिवस में पेश करें।

नीज........ मुबनीग........ बाबत........ खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शहर........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक........ .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 माह फरवरी 2024 जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बांसवाडा मुहर

उपखण्ड अधिकारी घाटोल

दस्तखत : विनोद कुमार मल्होत्रा
औहदा : उपखण्ड अधिकारी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताजा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्म नामा मुतफरिक मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाह फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुतफरिक मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज़ करना चाहिए